

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कोरबा वनमण्डल कोरबा (छ.ग.)

☎ का. : 07759-221273 , नि. : 07759- 222504,, फ़ैक्स 07759-223531, Email : dfo_korba@yahoo.co.in

क्रमांक/तक.अ/ 642
प्रति,

कोरबा, दिनांक 24/01/2024

प्रोजेक्ट डायरेक्टर,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
कोरबा (छ.ग.)

विषय :- Consultance Services for Project Management phase-I including Preparation of Details Project Report for upgradation of Champa-Korba-Chhuri-Katghora Section of NH-149 B in the State of Chhattisgarh 2/4 lane with paved shoulder configuration (PKg No. NH/IAHE/09) Area 4.493 Ha. regarding.

पंजीयन क्रमांक - FP/CG/ROAD/37444/2018

- संदर्भ :-
1. इस कार्यालय का पत्र क्र./3753 दिनांक 23.05.2023
 2. प्रोजेक्ट डायरेक्टर, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कोरबा का पत्र क्र. 3673 दिनांक 09.11.2023
 3. प्रोजेक्ट डायरेक्टर, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कोरबा का पत्र क्र. 3871 दिनांक 04.01.2024
 4. इस कार्यालय का पृ. क्र./तक.अ./47 दिनांक 9.1.2024

-00-

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र क्र. 4 के द्वारा आपको पृष्ठांकित किया गया है। भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग चांपा-उरगा-छुरी-कटघोरा फोरलेन एन.ए. 149 बी के निर्माण हेतु रकबा 4.493 हे. का प्रत्यावर्तन के प्रथम चरण की स्वीकृति प्रदान की गई है।

संदर्भित पत्र क्र. 1 के द्वारा अधिरोपित शर्त के अनुसार सिंचित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (CA) की राशि 2022-23 की राशि आवेदक संस्थान के द्वारा जमा की गई है। वर्ष 2023-24 की क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की अंतर की राशि 878790/- जमा करने हेतु लेख किया गया था।

संदर्भित पत्र क्र. 4 के द्वारा आपको अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) छत्तीसगढ़ रायपुर से संपर्क कर वर्ष 2023-24 की क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की अंतर की राशि 878790/- ई-चालान के माध्यम से जमा की जाने वाली राशि को Parivesh Portal में अपलोड कराने एवं इस कार्यालय को अवगत कराने हेतु लेख किया गया था, किन्तु आज दिनांक तक जमा होने का अवगत नहीं कराया गया है।

अतः आप वर्ष 2023-24 की क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की अंतर की राशि 878790/- ई-चालान के माध्यम से जमा की जाने वाली राशि को Parivesh Portal में पुनः अपलोड कराकर इस कार्यालय को अवगत करावें।

24/01/24

वनमण्डलाधिकारी

कोरबा वनमण्डल कोरबा

पृ. क्रमांक/तक.अ/ 643

कोरबा, दिनांक 24/01/2024

प्रतिलिपि - 1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित।

2. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त बिलासपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी

कोरबा वनमण्डल कोरबा